

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 7(4)साप्र / 5 / 12

जयपुर, दिनांक: 6-11-12

आज्ञा

विश्राम भवन अधिनस्थ सेवा नियम 1979 के नियम 24 के अन्तर्गत हाउसकीपर से वरिष्ठ हाउसकीपर के पद पर पदौन्नति हेतु वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिए गठित विभागीय पदौन्नति समिति की अनुशंषाओं के आधार पर नियम 24(6) के अन्तर्गत निम्नलिखित हाउसकीपर वर्षवार वरिष्ठ हाउसकीपर के पद पर वेतनमान PB-I 5200-20200 (10)GP-2800 में स्थानापन्न रूप से एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से पदौन्नत किया जाता है।

वर्ष 2006-07

- *1. श्री रजनीकान्त शर्मा

वर्ष 2007-08

1. श्री सतीशचन्द बंसल

वर्ष 2008-09

1. श्री कैलाश पंवार

वर्ष 2009-10

- *1. श्री निरंजन कुमार शर्मा

वर्ष 2010-11

1. श्री मीठा लाल शर्मा

- *2. श्री नवीन चन्द शर्मा

वर्ष 2011-12

1. श्री रामप्रसाद जाट

2. श्री हरिसिंह चारण

3. श्री प्रबोध चन्द कुमावत

वर्ष 2012-13

1. श्री राम सिंह गुर्जर

* The consideration of candidature of the Mr. Rajni Kant Sharma, Mr. Niranjan Kumar Sharma, Mr. Navenchand Sharma was deferred due to non availability of required APARs and one post each reserve for them.

नोट:-

श्री श्याम मोहन सिंधल, हाउसकीपर की विभागीय जांच सीसीए 16 में लम्बित होने के कारण लिफाफा बन्द किया गया व वरिष्ठ हाउसकीपर का एक पद रिक्त रखा गया।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सा.प्र.विभाग।
2. संबंधित जिला कलेक्टर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. संबंधित प्रबन्धक।
5. संबंधित कर्मचारी।
6. निजी पत्रावली में रखने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव